एमपीएसएसआईओ की प्रमुख उपलब्धियॉ

म.प्र. लघु उद्योग संघ के सुझावों और प्रस्तावों पर व्यवसायिक एवं सकारात्मक निर्णय लेते हुए म.प्र. शासन ने अनेक निर्णय लिये है जो निम्नानुसार हैः–

1. श्रम कानूनों का सरलीकरण करते हुए म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावशीलता 20 के स्थान पर 50 श्रमिक की गई है तथा सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम से छूट प्रदान की गई है।
2. उद्योगों को विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पहले 14 दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी। अब ऊर्जा विभाग म.प्र. शासन द्वारा 2 दस्तावेजों के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है।
3. संस्था की मांग पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा जिन उद्योगों मे डण्क मीटर लगा है ऐसे उद्योगों को कनेक्टेड लोड की गणना से मुक्त किया गया है।
4. संस्था के सुझाव पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने केन्द्रीय शासन द्वारा उल्लेखित सफेद श्रेणी की लगभग 200 इकाइयों के अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित 544 अन्य इकाइयों को भी सफेद श्रेणी प्रदान की गई है। इस तरह सफेद श्रेणी के अन्तर्गत 744 उद्योग आ गये हैं।
5. प्रदेश की भूमि एवं भवन आवंटन नियम मे संस्था द्वारा प्रस्तावित विभिन्न बिन्दुओं पर शासन द्वारा सुधार किये गए, जिसमे महत्वपूर्ण रक्त संबंधियों के बीच भूमि हस्तांतरण एवं बंटवारे को मात्र रू. 10000/– दे कर हस्तांतरण विधि सम्पन्न की जाती है।
6. प्रदेश में जैव विविधता अधिनियम के अन्तर्गत 21 नवम्बर 2014 को नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। नई गाइड लाइन के तहत जैव संसाधनों का व्यवसायिक उपयोग करने वाली संस्थाओं एवं उद्योगों से लाभांश शेयरिंग वसूलने के स्लैब बना दिए गए है। इसके मुताबिक एक करोड़ रूपए तक का सालाना टर्न–ओवर करने वालों से 'दशमलव–एक प्रतिशत', तीन करोड रूपए तक सालाना कारोबार करने वालों से 0.2 प्रतिशत' और तीन करोड़ रूपए से ऊपर सालाना धंधा करने वाले उद्योगों से 0.5' प्रतिशत लाभांश शेयर लेने का प्रावधान किया गया है, जब कि पूर्व में लाभांश का 2 प्रतिशत देने का प्रस्ताव था।
7. उद्योग संवर्धन नीति 2014 में प्रदेश में निजी औद्योगिक क्षेत्र (Private Industrial Area) की स्थापना हेतु 50 एकड़ भूमि होना अनिवार्य था, जिस पर शासन द्वारा रू. 5 करोड़ तक के अनुदान दिये जाने का प्रावधान था, जो आर्गेनाइजेशन के सुझाव पर भूमि की सीमा 5 एकड़ तथा रू. 2 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया है।
8. संस्था द्वारा देश मे स्थापित एमएसएमई के संरक्षण हेतु भारत शासन से Anti Dumping Procedure को लागू करने हेतु प्रयास किया गया, जिससे इस प्रावधान का लाभ राष्ट्र के सभी उद्योगों को प्राप्त हुआ।
9. प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा व्दसपदम पंजीयन हेतु सुझाव दिये गये तथा हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में आनलाईन पंजीयन की प्रक्रिया चालू हो गई है। उदाहरण स्वरूप फेक्ट्री एक्ट का लायसेंस ऑन–लाईन प्राप्त किया जा सकता है।
10. QCI सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्था के ZERO DEFECT ZERO EFFECT(ZED) के जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन हेतु प्रदेश की एकमेव संस्था को अधिकृत किया गया है।
11. संस्था द्वारा गत दिनांक 13–14 वर्षों से नियमित रूप से उद्यम प्रेरणा का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से व्यापार एवं उद्योग से संबंधित जानकारियॉ सदस्यों को प्रदान की जाती है।

* * * * *